

23<sup>07</sup>/<sub>24</sub>

पत्रावली पेश हुई।  
प्रार्थी वकील उपस्थित। पत्रावली वाले  
तलबी हेतु अंतिम ले अंतिम अवसर  
दिया जाकर दिनांक 17/5/24 को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी  
धोरीमन्ना, बाड़मेर

17/5/24 - पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी वकील उपस्थित। पत्रावली वाले  
पूर्व आदेशानुसार आशु-दा दिनांक 13/8/24  
को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी  
धोरीमन्ना, बाड़मेर

13-8-24

पत्रावली आज पेश हुई।  
प्रार्थी वकील उपस्थित।  
पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। न्यायालय में राजस्व  
आवेदन दिनांक 20.12.2021 को दर्ज करने के बाद प्रार्थी वकील को  
विप्रार्थीगण के नोटिस भेजने के आदेश दिये गये थे। परन्तु प्रार्थी  
वकील द्वारा आज तक विप्रार्थीगण के नोटिस पेश नहीं किये। प्रार्थी  
वकील को नोटिस तामिली कई अवसर दिये जाने बावजूद भी प्रार्थी  
वकील ने विप्रार्थीगण के नोटिस पेश नहीं किये। लगभग दो वर्ष सात  
माह से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी विप्रार्थीगण की  
तलबी पूर्ण नहीं करवाई, तलबी के अभाव उक्त प्रकरण आदेश 09  
नियम 05 सीपीसी के तहत प्रार्थी का राजस्व आवेदन अदम तकमील  
में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल  
दफ़तर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
धोरीमन्ना, बाड़मेर

